



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239295
CG-DL-E-03102022-239295

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 234]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

(मामला संख्या: ओआई-(06/2022)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (वी एफ वाई)" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. फा.सं. 6/06/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, एसोसिएशन ऑफ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (इसके बाद इसे "आवेदक एसोसिएशन" के रूप में भी कहा गया है) और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके बाद इसे "आवेदक घरेलू उद्योग" के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (इसके बाद इसे "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (वी एफ वाई)" (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी

जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है। एसोसिएशन ऑफ़ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक साथ मिल कर आवेदक के रूप में कहा गया है।

2. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन के उत्पादक देश में उत्पाद के पाटन का सहारा ले रहे हैं, घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना किया है और घरेलू उद्योग की क्षति और पाटन के बीच एक कारणात्मक संबंध है। आवेदक ने चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद विस्कोस रेयन फिलामेंट यार्न/श्रेड है जिसे सीमा शुल्क वर्गीकरण 5403 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें स्पूल स्पन प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादित यार्न शामिल नहीं है। केवल छोटे बॉबिन पर कढ़ाई के धागे का उपयोग करने के लिए तैयार है जिसे कढ़ाई मशीन पर स्थापित किया जा सकता है, और जो कि सीमा शुल्क वर्गीकरण 5401 के तहत वर्गीकृत है, को वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, रंगे और बिना रंगे दोनों धागे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में हैं।
4. विस्कोस रेयोन फिलामेंट यार्न को तीन प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किया जा सकता है, नामतः पोट स्पन यार्न (पी एस वाई), कॉटिनुअल स्पन यार्न (सी एस वाई) और स्पूल स्पन यार्न (एस एस वाई)। प्रत्येक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित यार्न का विभिन्न विनिर्देशनों के कारण विभिन्न सेगमेंट में प्रयोग होता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा पी एस वाई और सी एस वाई टेक्नोलॉजी के जरिए उत्पादित विस्कोस रेयोन फिलामेंट यार्न तक सीमित है। एस एस वाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादित विस्कोस रेयोन फिलामेंट विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
5. आवेदक ने यह कहा है कि उत्पाद को अनेक विभिन्न विवरणों का उपयोग करके आयात किया गया है और ऐसे विभिन्न विवरणों की एक गैर-विस्तृत सूची प्रदान की है, जिसका उपयोग आयातकों द्वारा आयात की सूचना देते समय किया गया है। उत्पाद का आयात करते समय प्रयोग की गई विवरणों की सूची नीचे दी गई है। इनमें उत्पाद के विवरण की गैर विस्तृत सूची शामिल है :

बम्बू सीएसपी. इवन	कॉटिनुअस इवन ब्राइट हाई ग्लू (बिना रंगे)
बम्बू सीएसपी. इवन (बिना रंगे)	कॉटन सीएसपी
बम्बू सीएसपी. अनइवन	कॉटन सीएसपी ब्राइट सीएमसी बिना रंगे
बम्बू सीएसपी. अनइवन (बिना रंगे)	कॉटन सीएसपी ब्राइट एचजी बिना रंगे
बम्बू सीएसपी. इवन डल	कॉटन इवन (बिना रंगे)
बम्बू पल्प ब्राइट बिना रंगे	कॉटन पल्प ऑन कोन
बम्बू पल्प डल बिना रंगे	कॉटन पल्प (बिना रंगे)
ब्राइट डल व्हाइट ऑन कोन	डल कॉटन पल्प (बिना रंगे)
ब्राइट ऑन कोन सिल्वर रिंग	डल वुड पल्प
ब्राइट रॉ व्हाइट ऑन केक	कांटिनुअस ब्राइट ग्रेड इवन (बिना रंगे)
ब्राइट रॉ व्हाइट ऑन कोन	इग्रेट ब्रांड कांटिनुअस इवन ब्राइट (बिना रंगे)
ब्राइट रेयोन ट्विस्टेड यार्न	इग्रेट ब्रांड कांटिनुअस इवन ग्रेड ब्राइट (बिना रंगे)
ब्राइट कॉटन पल्प (बिना रंगे)	इग्रेट ब्रांड कांटिनुअस इवन स्त्रो कॉरी ब्राइट (बिना रंगे)
ब्राइट सीएसपी बम्बू इवन (बिना रंगे)	रॉ व्हाइट ब्राइट ऑन केक
ब्राइट सीएसपी. बम्बू एचजी. इवन (बिना रंगे)	रॉ व्हाइट ब्राइट ऑन कोन बिना रंगे
ब्राइट सीएसपी. बम्बू एचजी. अनइवन (बिना रंगे)	रॉ व्हाइट डल ऑन कोन बिना रंगे

ब्राइट सीएसपी. बम्बू अनइवन (बिना रंगे)	रेयोन एम्ब्रायोडरी थ्रेड ब्राइट डाइड ऑन कोन
ब्राइट सीएसपी. कॉटन अनइवन (बिना रंगे)	रेयोन एम्ब्रायोडरी थ्रेड ब्राइट राँ व्हाइट
ब्राइट सीएसपी. कॉटन बिना रंगे	रेयोन एम्ब्रायोडरी थ्रेड ब्राइट राँ व्हाइट ऑन हैंक
ब्राइट सीएसपी. कॉटन अनइवन (बिना रंगे)	रेयोन एम्ब्रायोडरी थ्रेड ब्राइट राँ व्हाइट ऑन हैंक बिना रंगे
ब्राइट बुड पल्प बिना रंगे	रेयोन विस्कोस यार्न (100% वर्जिन) बिना रंगे
सैंट्रिफ्यूगल बाइट (बिना रंगे)	रेयोन विस्कोस यार्न (100% वर्जिन) बिना रंगे राँ व्हाइट
सैंट्रिफ्यूगल इग्रेट ब्रांड डल	विस्कोस रेयोन एम्ब्रायोडरी थ्रेड इन हैंक (बिना रंगे)
कांटिनूअस इग्रेट ब्रांड ब्राइट	विस्कोस रेयोन एम्ब्रायोडरी थ्रेड इन हैंक राँ व्हाइट
कांटिनूअस इग्रेट ब्राइट	विस्कोस रेयोन एम्ब्रायोडरी थ्रेड राँ व्हाइट ब्राइट ऑन हैंक बिना रंगे
कांटिनूअस इग्रेट स्लो ब्राइट	विस्कोस रेयोन फिलामेंट यार्न, विभिन्न डेनियर्स एवं फिलामेंट
बुड पल्प ऑन कोन डल	विस्कोस रेयोन यार्न (राफिया) राँ व्हाइट 100% रंगाई के योग्य गुणवत्ता

6. उत्पाद को टैरिफ सीमा शुल्क वर्गीकरण 5403 के उप शीर्ष के अंतर्गत, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1951 का क्रमांक 51) के अध्याय 54 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह उत्पाद मुख्यतः 54031000, 54031090, 54033100, 54033200, 54034110, 54034120, 54034130, 54034150, 54034170, 54034190 के अंतर्गत उत्पादित किया जाता है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इसकी विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर कोई बाध्यता नहीं है।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो भारत में पाटित की जा रही हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। यह भी कहा गया है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वी एफ वाई और संबद्ध दशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” मानी जा रही हैं।

(ग) पीसीएन सिस्टम

8. जांच के लिए आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति निम्नानुसार है:

मापदंडों	प्रस्तावित पीसीएन	कोड संकेत
उत्पादन में नियोजित प्रौद्योगिकी।	a. निरंतर काता यार्न b. मटका काता यार्न	a. सीएसवाई b. पीएसयू
डेनियर ऑफ़ धागा	वास्तविक इनकार	a. एक्सएक्सएक्स
संख्या बार उत्पाद मुड़ गया है	a. बिना मुड़े b. वन टाइम मुड़ c. डबल टिवस्टेड	a. यूटी b. ओटी c. डीटी
रंगे/बिना रंगे	a. सारंग b. बिना रंगे	a. डीवाई b. यूएनडीवाई

9. जांच के सभी इच्छुक पक्ष इस अधिसूचना के जारी होने के 20 दिनों के भीतर पीयूसी के साथ-साथ पीसीएन के निर्माण के अपने प्रस्ताव, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणी प्रदान कर सकते हैं।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

10. एसोसिएशन ऑफ़ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया की ओर से आवेदन दिया गया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दावा किया है कि उसने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित है।
11. उपलब्ध सूचना के आधार पर, आवेदक घरेलू उद्योग के उत्पादन का, भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा शामिल है। तदनुसार, आवेदन में निहित सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि यह आवेदन नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा घरेलू उद्योग की ओर से किया गया है।

घ. पाटन के आरोप का आधार

क. सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) पर भरोसा किया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने के लिए सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागतों और कीमतों की सूचना बाजार से संचालित हैं, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 से 8 प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के अनुसार किया गया है।
13. आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद अधिकांशतः चीन और भारत में उत्पादित होता है, जिसका बहुत ही कम उत्पादन यूरोपीय संघ में होता है। आवेदक ने यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य की गणना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों अथवा लागतों के आधार पर नहीं की जा सकती। आवेदक ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभों को तर्कसंगत रूप से शामिल करने के बाद विधिवत समायोजन करके उत्पाद की लागत के अनुमान के आधार चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए, सामान्य मूल्य पर आवेदक द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार विचार किया है।

ख. निर्यात कीमत

14. चूंकि डीजीसीआई एंड एस के निर्यात- वार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः आवेदक ने बाजार के फील्ड रिसर्च के आधार पर सी आई एफ कीमत को अपनाया है। प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना पर विचार किया है।
15. संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, स्वदेशी मालभाड़ा व्यय, बंदरगाह व्यय, तथा बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किया गया है जिससे कि कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके।

ग. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जो कि प्रथम दृष्ट्या यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। ऐसे पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध वस्तुओं का, भारतीय बाजार में संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा पाटन किया जा रहा है।

ड. क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर आवेदक घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के कारण क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि निरपेक्ष

संदर्भ में और भारत में उत्पादन व खपत के सापेक्ष संदर्भ में पाटित आयातों की मात्रा में हुई वृद्धि से स्पष्ट है, और पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव/ ह्रासकारी प्रभाव पड़ रहा है आवेदक घरेलू उद्योग के निष्पादन पर संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण से उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और नकदी प्रवाह जैसे मापदंडों के संदर्भ में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने की दृष्टि से, संबद्ध देश से पाटित आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

च. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग और उसकी ओर से विधिवत प्रमाण सहित प्राप्त आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट किए जाने पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के साक्ष्य, घरेलू उद्योग की क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तथा नियामावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है, तो यह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, एक जांच शुरू करते हैं।

छ. संबद्ध देश

19. इस जांच में संबद्ध देश के रूप में चीन जन. गण. है।

ज. जांच की अवधि (पीओआई)

20. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि के रूप में दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि (12 माह) शामिल है। क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि शामिल होगी।

झ. प्रक्रिया

21. नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए अनुसरण किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार, ई-मेल पत्तों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in और adv12-dgtr@gov.in पर दी जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एम एस फॉर्मेट में होना चाहिए और डेटा फाइलें एम एस एक्सल फॉर्मेट में हों।
23. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबद्ध समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं विहित ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और विहित ढंग से, ऊपर पैरा 19 में दिए गए ई-मेल पत्तों पर इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी प्रकार की अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट, अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित रूप से नजर रखें।

ट. समय-सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ईमेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in और adv12-dgtr@gov.in पर दी जाए। तथापि, यह नोट किया जाता है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज आमंत्रित करने संबंधी नोटिस जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नोटिस भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को प्रदान किया गया था, उसके एक सप्ताह के भीतर उसे प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
30. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट /अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों द्वारा गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
31. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी हिस्से पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
32. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा ऐसी सूचना, जिसे पर अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ में उचित कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।
33. अगोपनीय पाठ को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज के गैर-गोपनीय संस्करण को प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।
34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
35. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण का विवरण दिए बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
36. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना के गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

37. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय पाठ के साथ सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं। इलैक्ट्रॉनिक माध्यम में सार्वजनिक फाइल को रखने की प्रविधियां तैयार की जा रही हैं।

ढ. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

Case No. OI- (06/2022)

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Viscose Rayon Filament Yarn (VFY)” originating in or exported from China PR.

1. **F. No. 6/06/2022-DGTR.**—Association of Man-Made Fibre Industry of India (hereinafter referred to as the “applicant association”) and Grasim Industries Limited (hereinafter referred to as “applicant domestic industry”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of “Viscose Rayon Filament Yarn”, also known as VFY (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “subject country”). The Association of Man-Made Fibre Industry of India and Grasim Industries Limited together have been referred to as applicants.

Association of Man-Made Fibre Industry of India (hereinafter referred to as the “applicant association”) and Grasim Industries Limited (hereinafter referred to as “applicant domestic industry”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of “Viscose Rayon Filament Yarn”, also known as VFY (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “subject country”). The Association of Man-Made Fibre Industry of India and Grasim Industries Limited together have been referred to as applicants.

2. The applicant has claimed that the Chinese producers are resorting to dumping of the product in the country, the domestic industry has suffered injury and there is a causal link between dumping and injury to the domestic

industry. The applicant has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR.

A. Product under consideration (PUC)

3. The product under consideration in the present investigation is Viscose Rayon Filament Yarn/Thread classifiable under customs classification 5403, excluding Yarn produced through Spool Spun Technology. Only ready to use Embroidery thread on small bobbin that can be installed on Embroidery machine, and which is classifiable under customs classification 5401, is excluded from the scope of present investigation. Further, both dyed and undyed yarn are within the scope of the product under consideration.
4. Viscose Rayon Filament Yarn can be produced by three processes, namely, Pot Spun Yarn (PSY), Continuous Spun Yarn (CSY) and Spool Spun Yarn (SSY). Yarn produced through each process finds usage in different segment because of different specifications. Scope of the product under consideration in the present investigation is restricted to the Viscose Rayon Filament Yarn produced through PSY and CSY technology. Viscose Rayon Filament Yarn produced through SSY technology is outside the scope of product under consideration.
5. The applicant has stated that the product has been imported using a number of different descriptions and has provided a non-exhaustive list of different description that have been used by the importers while reporting imports. The scope of the product under consideration includes all possible descriptions of the product. The list of descriptions used while importing the product is given below. These constitute non exhaustive list of description of the product: -

Bamboo Csp Even	Continuous Even Bright High Glue (Undyed)
Bamboo Csp Even (Undyed)	Cotton Csp
Bamboo Csp Uneven	Cotton Csp Brt Cmc Undyed
Bamboo Csp Uneven (Undyed)	Cotton Csp Brt Hg Undyed
Bamboo Csp Uneven Dull	Cotton Even (Undyed)
Bamboo Pulp Brt Undyed	Cotton Pulp On Cone
Bamboo Pulp Dull Undyed	Cotton Pulp Undyed
Bright Dull White On Cone	Dull Cotton Pulp (Undyed)
Bright On Cone Silver Ring	Dull Wood Pulp
Bright Raw White On Cake	Egret Brand Continuous Bright Grade Even (Undyed)
Bright Raw White On Cone	Egret Brand Continuous Even Bright (Undyed)
Bright Rayon Twisted Yarn	Egret Brand Continuous Even Cg Grade Bright (Undyed)
Brt Cotton Pulp (Undyed)	Egret Brand Continuous Even Snow Cowrie Bright (Undyed)
Brt Csp Bamboo Even (Undyed)	Raw White Bright On Cake
Brt Csp Bamboo Hg Even (Undyed)	Raw White Bright On Cone Undyed
Brt Csp Bamboo Hg Uneven (Undyed)	Raw White Dull On Cone Undyed
Brt Csp Bamboo Uneven(Undyed)	Rayon Embroidery Thread Bright Dyed On Cone
Brt Csp Cotton Even (Undyed)	Rayon Embroidery Thread Bright Raw White
Brt Csp Cotton Undyed	Rayon Embroidery Thread Bright Raw White On Hank
Brt Csp Cotton Uneven(Undyed)	Rayon Embroidery Thread Bright Raw White On Hank Undyed
Brt Wood Pulp Undyed	Rayon Viscose Yarn (100% Virgin) Undyed
Centrifugal Bright (Undyed)	Rayon Viscose Yarn (100% Virgin) Undyed Raw White

Centrifugal Egret Brand Dull	Viscose Rayon Embroidery Thread In Hank (Undyed)
Continuous Egret Brand Bright	Viscose Rayon Embroidery Thread In Hank Raw White
Continuous Egret Bright	Viscose Rayon Embroidery Thread Raw White Bright On Hank Undyed
Continuous Egret Snow Bright	Viscose Rayon Filament Yarn, Various Deniers And Filaments
Wood Pulp On Cone Dull	Viscose Rayon Yarn (Raffia) Raw White 100% Dyeable Quality

6. The product is classified under the Chapter 54 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under subheadings of the tariff custom classification as 5403. The product is majorly imported under 54031000, 54031090, 54033100, 54033200, 54034110, 54034120, 54034130, 54034150, 54034170, 54034190. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

B. Like Article

7. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods being dumped into India. It has been further stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicant domestic industry and those exported from the subject country. The applicant has claimed that VFY produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as “like article” of the subject goods imported from the subject country.

C. PCN System

8. The PCN methodology proposed by the applicant for the investigation is as under: -

Parameters	Proposed PCN	Code Sign
Technology employed in production.	c. Continuous Spun Yarn d. Pot Spun Yarn	c. CSY d. PSY
Denier of yarn	Actual denier	b. XXX
Number times product has been twisted	d. Untwisted e. One-time twisted f. Double twisted	d. UT e. OT f. DT
Dyed/ Undyed	c. Dyed d. Undyed	c. DY d. UNDY

9. All interested parties to the investigation may provide their comments on the PUC as well as their proposal for construction of PCNs, if any, within 20 days from the issue of this notification.

D. Domestic industry & Standing

10. The application has been filed by the Association of Man-Made Fibre Industry of India. Grasim Industries Limited has provided data relating to injury to the domestic industry. M/s Grasim Industries Limited has claimed that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country.
11. On the basis of the information available, the production of the Grasim Industries Limited accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. Accordingly, on the basis of the information contained in the application, the Authority determines that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. Basis of Alleged Dumping**a. Normal Value**

12. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules. The normal value has accordingly been determined in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules.
13. The applicant has claimed that the product under consideration is produced majorly in China and India with very minor production happening in European Union. The applicant has claimed that the normal value could not be calculated based on the prices or costs in market economy third country. The applicant has constructed normal value for China PR on the basis of estimates of cost of production, with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits. The Authority has, for the purpose of initiation, considered the normal value as proposed by the applicant.

b. Export Price

14. Since the DGCI&S transaction wise data was not available, the applicant has adopted the CIF price based on market field research. The Authority has for the purpose of initiation, considered the information provided by the applicant.
15. The export price for the subject country has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges to determine the ex-factory export price.

c. Dumping Margin

16. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows dumping margin is not only above the de-minimis level but also significant. There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

F. Evidence of injury and causal link

17. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the applicant domestic industry. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the alleged dumped imports in the form of increased volume of dumped imports in absolute as well as in relative terms in comparison to the production and consumption in India, decline in market share of the domestic industry and increase in the share of dumped imports. It has been *prima facie* established that the performance of the domestic industry has been adversely impacted in respect of parameters such as production, capacity utilization, profits, return on capital employed and cash flow, as a result of dumped imports from the subject country. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

G. Initiation of Anti-Dumping Investigation

18. On the basis of the duly substantiated written application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with

Rule 5 of the Rules, the Authority hereby initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. Subject country

19. The subject country for this investigation is China PR.

I. Period of investigation (POI)

20. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April 2021 to 31st March 2022 (period of 12 months). The injury investigation period will cover the periods 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the period of investigation.

J. Procedure

21. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

K. Submission of information

22. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address dd13-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
23. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic other producers are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 19 above.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
26. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

L. Time Limit

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses dd13-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation to the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record in accordance with the Rules.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

29. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions
30. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and non-confidential versions separately.
31. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to, allow the other interested parties to inspect such submissions.
32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
36. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

37. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

O. Non-cooperation

38. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority